# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 49/2015/एलआर

छगनलाल पिता देवा गुरू (गर्ग)
निवासी निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
3. नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ सम्मन्स टु सेक्रेटरी नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
दिनांक 14.08.2014 क्रमांक राजस्व/12–3/(6)14/1369

उपस्थित – 1. श्री दौलत अली – अभिभाषक अपीलान्ट
2. अभिभाषक नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़

निर्णय दिनांक– 10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 नगरविकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ को आबादी विस्तार हेतु मौजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की काफी आराजीयात आंवटित की जिसमे क्रम संख्या 14 कॉलम नम्बर 6 मे अपीलान्ट की आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 है0 भी आरक्षित कर ली जो आराजी अपीलान्ट की खातेदारी व कब्ज काश्त की है, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट ने इस वर्ष मक्के की फसल बोई थी जो पकने पर प्राप्त की एवं वर्तमान मे गेहूँ की फसल बो रखी है तथा भूमि की सुरक्षा हेतु चारो ओर थोहर की कांटो की बाड व पत्थर की दीवार बना रखी है। वस्तुतः यह अपील अपीलान्ट द्वारा केवल आंवटन आदेश की आराजीयात की सूची के क्रम संख्या 14 मे अंकित आराजी नम्बर 571 के बाबत् ही है। आंवटित आराजी नम्बर 571 प्रथमतः अपीलान्ट के पुराने आराजी नम्बर 1368/2 मी. से बना है जो वादी की खातेदारी की है जिसका वक्त सेटलमेन्ट मिलान

खसरा पत्रक जो मौके पर तैयार किया उसकी कलम संख्या 22–23 मे वादी का नाम अंकित है और उसका कालम संख्या 23 मे लाईन फेर कर पुनः कालम संख्या 22–23 मे सही ( ) का निशान लगाकर बिना किसी आदेश के बिलानाम अंकित कर दी, जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियो को बिना किसी कम्पीटेंट कोर्ट के आदेश के किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन करने का कोई अधिकार नही है, इस परिवर्तन की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। आराजी नम्बर 1368/2 मी के 5 खसरा नम्बर 567, 568, 569, 570, 571 कायम हुए जिसमे से 567 से 570 तक के खसरा नम्बर अपीलान्ट के खाते मे अंकित कर दिये और खसरा नम्बर 571 बिना अधिकार बिलानाम कर दिया।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट लेकर सत्यापन नही किया गया क्योकि अगर मौका देखा जाता तो वादी का कब्जा काश्त अवश्य लिखा जाता और इसी आंवटन आदेश की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने नामान्तकरण संख्या 1621 स्वीकृत कर दिया जो अपीलान्ट के मुकाबले शून्य व अवैध है। अपीलान्ट एक सदभावी काश्तकार है। अपीलान्ट एक वृद्ध व्यक्ति होकर ग्रामीण कृषक है। इस आंवटन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। दिनांक 29/10/2015 को उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया। इस पर अपीलान्ट ने जानकारी की जो पता चला कि इस आंवटन के बारे मे जानकारी मिली जिसकी दिनांक 30/10/2015 नकल लेने का आवेदन पेश कर दिनांक 04/11/2015 को बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत कर दी है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का आवेदन पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ का आंवटन आदेश दिनांक 14/08/2014 अपीलान्ट के मुकाबले निरस्त किया जाकर आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 है0 अपीलान्ट के नाम रेवेन्यु रिकार्ड पर दर्ज फरमाई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। दिनांक 01/11/2017 को वकील अपीलान्ट ने मुख्य नजीरे भी पेश की है। 1994 आरआरडी पेज 204,266, 2003 आरआरटी पेज 957,1027, 2007 आरआरटी पेज 668, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1996 पेज 457 आदि का अवलोकन करवाया।

3. दिनांक 06/11/2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 व 2012 रा.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली तहसील

चित्तौड़गढ़ मे अपीलान्ट के कब्जेकाश्त व खातेदारी की निम्न आराजीयात स्थित है जिसके पुराने व नये नम्बर निम्न प्रकार है। आराजी नम्बर 1368/2 मी. रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, नये नम्बर आराजी नम्बर 567 रकबा 1.56, आराजी नम्बर 568 रकबा 0.22, आराजी नम्बर 569 रकबा 0.26 आराजी नम्बर 570 रकबा 0.08, आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 कुल किता 5 रकबा 2.76 है0 स्थित है जिसको नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा रसीदान आदि प्रमाण मे प्रस्तुत है। यह कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है यदि यथास्थिति कायम रखी जाने के लिए विपक्षीगण को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण को अपील के अंतिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मौजा पाण्डोली के आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 है0 जबरन कब्जा नही करे एवं बेदखल भी नही करे न किसी अन्य से करावे।

4. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि खसरा नम्बर 1368/2 रकबा 0.64 है0 के नये नम्बर खसरा नम्बर 567, 568, 569, 570 तथा 574 बना। जमाबन्दी के अनुसार 567 से छगनलाल के नाम थी जिसे बिलानाम दर्ज कर दी गई। तत् समय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ ही नगर विकास प्रन्यास चित्तौडगढ के अध्यक्ष थे। एकल आदेश के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा समस्त बिलानाम भूमि धारा 92 ए के तहत सेट अपार्ट करते हुए नगर विकास प्रन्यास चित्तौडगढ को स्थानान्तरित कर दी गई। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के तहत समय–समय पर दावे होती रही है। भू–प्रबन्धक विभाग को किसी प्रकार का अधिकार नही है बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खाता बदर नही किया जा सकता है। जिसके सम्बन्ध मे उनके द्वारा आरआरडी 1994 पेज 204, आरआरडी 1994 पेज 266, आरआरटी 2003 पार्ट–2 पेज 957 आरआरडी 1995 पेज 668 तथा धारा 92 एवं 102 एलआरक्ट का उल्लेख किया तथा मांग की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

5. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलार्थी को इस सम्बन्ध मे अलग से घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर रिलीफ प्राप्त करनी चाहिये थी। जिला कलेक्टर द्वारा आंवटन मे क्या कमी रही है इसका कही उल्लेख/वर्णन नही किया गया है। आंवटन करते समय उक्त भूमि बिलानाम थी जिसे सेट अपार्ट करने का अधिकार जिला

कलेक्टर को प्रदत्त है। खसरा नम्बर 571 जो कि इस अपील मे विवादग्रस्त है, जो बिलानाम भूमि है। अपीलार्थी द्वारा जो जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है वह संवत् 2035 अर्थात् 38–40 वर्ष पुरानी है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/12–3/(6)14/1369 मे दिनांक 14/08/2014 को समस्त बिलानाम भूमि नगर विकास प्रन्यास चित्तौडगढ को सेट अपार्ट करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की गई है, क्योकि उक्त तिथि को प्रश्नगत भूमि बतौर बिलानाम श्रेणी मे दर्ज थी। जिला कलेक्टर द्वारा सक्षम ऑथोरिटी के तहत उक्त आंवटन आदेश जारी किया गया। फलतः अपील अपीलार्थी खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय /कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/08/2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़